(ख) यदि नहीं , तो इस संबंध में सरकार का अनुमान क्या है, और

(ग) क्या सरकार ने देश में निरन्तर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये बढ़ाने उत्पादन हेतु कोई समबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए है, यदि हां, तो वे लक्ष्य क्या-क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां । आठवीं पंचवर्षीय (1992-97) के दौरान देश में पैट्रोलियम उत्पादों की खपत की संयोजित वार्षिक औसत वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत थी और नौवीं पचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (1997-98) में वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत थी ।

(ग) पानीपत रिफाइनरी जी चालू होने की प्रक्रिया में है उसके सहित वर्तमान शोधन क्षमता करीब 68 मिमी. टन. प्रति वर्ष है । योजना तथा विभिन्न स्थानों पर ग्राहरूढ़ रिफाइनरियों के क्रियान्वयन द्वारा नौवीं योजना की समाप्ति तक कुल शोधन क्षमता करीब 131 मि.मी. टन प्रति वर्ष तक होने की संभावना है ।

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडारण

1962. **श्री कपिल सिब्बल** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कच्चे तेल एंव अन्य पैट्रोलियम पदार्थो के भंडारण की क्षमता आवश्यकता से कम है,

(ख) यदि हां, तो अभी कुल कितनी कच्चे तेल के भंडारण की क्षमता देश में मौजूद है, और

(ग) क्या यह भी सच है कि पर्याप्त भंडारण व्यवस्था के अभाव में कम्पनियों को भारी विलम्ब शुल्क देना पड़ रहा है, यदि हां, तो आपल इंडिया लि. को औसतन कितनी राशि विलम्ब शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष देनी पड़ती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) देश में कच्चे तेल (आयातित और स्वेदशी) की भण्डारण क्षमता लगभग 6327 टी एम टी है । पेट्रोलियम उत्पादों के आयात मांग पूरी करने के लिए अनु मोदन योजना के अनुसार किए जाते हैं आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण पत्तनों पर भीड़-भाड़ हो जाती है । विलम्ब शुल्क इस कारण से और खुले समुद्र में तैरते सामान के कारण दिया जाता है। आयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल अथवा पैट्रोलियम उत्पादों का आयात नहीं करती और इयलिये वे ऐसे आयातों के कारण कोई विलम्ब शुल्क नहीं देते।

"मुक्ता पन्ना आयल फील्ड" संबंधी संविदा की सी.बी.आई. जांच

1963. **श्री जनार्दन यादव** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "मुक्ता-पन्ना आयल फील्ड" ने जो एन जी सी और रियांयस के साथ एक संविदा निष्पन्न की थी, जैसा कि 21 नवम्बर, 1998 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि संविदा के कारण देश को 7.50 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है;

(ग) क्या इस संविदा की जांच कर रहे सीबी आई के पुलिस अधीक्षक का उस समय स्थानान्तरण कर दिया गया, जब उन्होंने रिलायंस के खिलाफ "प्रथम सूचना रिपोर्ट" दर्ज करने की सिफारिश की;

(घ) क्या "प्रथम सूचना रिपोर्ट की सिफारिश किए जाने से संबंधित कागजात सीबी आई के कार्यालय से गायब कर दियें गये है, और

(ड) यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार जंगावार) : (क) भारत सरकार ने 22-12-94 को

एनरान आयल एण्ड गैस (इंडिया) लि. य एस ए (भागीदारी हित- 30 प्रतिशत), रिलाबसं इंडिया (भागीदारी हित -30 प्रतिशत) तथा ओ एन जी सी (भागीदारी हित – 10 प्रतिश) के परिसंघ द्वारा मध्यम आकार के तेल क्षेत्र मुक्ता तथा पन्ना के विकासके लिए संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) से (ड) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

Contingent workers in TBG Division of ONGC

1964. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether a large number of contingent workers are working in TBG division of ONGC for the last 10-1-2 years; and

(b) if so, the action been taken to regularise the workers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MNISTRY OF PETRO LEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) and (b) There are, in all, 53 contingent workers engaged by the TBG Division of ONGC. Contingent workers are engaged on need basis, without any assurance of regularisation of their services. However, such contingent workers who complete 240 days continuous services in 12 consecutive calendar months are given preference in regular appointment, subject to the availability of vacancies and also subject to the condition that these contingent workers fulfil the eligibility criteria as prescribed in the ONGC Recruitment & Promotion Rules, for the posts against which they are to be considered for appointment.

Diesel, Petrol and Gas Agencies in Orissa and West Bengal

1965. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS
be pleased to state:

(a) the number of diesel/petrol pumps and LPG agencies, functioning in each State and particularly in Orissa and West Bengal;

(b) whether Government propose to allot new diesel/petrol pumps and LPG agencies in those States during the cuirent financial year;
and

(c) the details thereof, category-wise? . .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETRO LEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) As an 1-10-1998," there were 16981 retail outlet dealerships and 5560. LPG distributorships in operation all over the country, of which 1074 retail and 320 LPG distributorships fall in West Bengal and 355 retail outlets and 104 LPG distributorships fall in Orissa.

(b) and (c) Categorywise details of RO and LPG distributorship